211

संख्या– — /XXXVI(1)/2012–234/2001

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 26 अप्रैल, 2012

विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में न्याय लिपिक, संविदा/आउटसोसिंग के 09 पदों का नियत मानदेय में सृजन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र 3088/UHC/Admin.A/B/Misc/2006 दिनांक 24–06–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में न्याय लिपिक के 09 पद ₹ 20,000.00/– प्रतिमाह नियत मानदेय में दिनांक 28–02–2013 तक, बशर्ते ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, संविदा/आउटसोसिंग पर सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्त पद धारक को मा0 न्यायालय के अधिष्ठान में नियमित रूप से कार्यरत कार्मिको की भांति वर्तमान अनुमन्य भत्ते, सुविधायें अनुमन्य नही रहेंगे।

4– उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप नियुक्ति होने के उपरान्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 04 के लेखाशीर्षक "2014 न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102 उच्च न्यायालय–03 उच्च न्यायालय–00–की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 08 NP/XXVII(5)/2012 दिनांक 26–04–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव

संख्या– 91 /XXXVI(1)/2012–234/2001 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा देहरादून।

क्रमश.....2

2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–5 / कार्मिक अनुभाग / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव